उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

संख्या:अठारह-233-2017(निरीक्षक लिपिक)/220 दिनांक:जनवरी 28, 2019

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) को पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदन किये जाने के फलस्वरूप इन्हें उनके वर्तमान नियुक्ति के स्थान से **उनके नाम के सम्मुख अंकित जोन/इकाई में तात्कालिक प्रभाव से समायोजित/स्थानान्तरित करते हुए नवनियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-**

क0सं0	पी0एन0ओ0	नाम सर्वश्री	जन्म तिथि	गृह जनपद	वर्तमान नियुक्ति स्थान	आवंटित/ स्थानान्तरित जोन/इकाई	चयन वर्ष
1	870090587	रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव	01-01-1961	आजमगढ़	परिक्षेत्रीय कार्यालय मिर्जापुर	प्रयागराज जोन	2016
2	870330014	देवेन्द्र कुमार शर्मा	14-01-1964	हाथरस	कार्यालय पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी आगरा अनुभाग	आगरा जोन	2016
3	870110032	बहादुर सिंह	15-04-1964	अल्मोड़ा	मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद	मेरठ जोन	2016
4	870060018	आदित्य कुमार शुक्ला	07-05-1960	फतेहपुर	कार्यालय पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षण कानपुर	प्रयागराज जोन	2016
5	870027392	वृन्दावन	22-01-1959	गोरखपुर	पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज	उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय प्रयागराज	2016
6	870120017	किरनबाला	05-08-1962	प्रयागराज	04वी पीएसी, प्रयागराज	कानपुर जोन	2016
7	871260015	सहदेव प्रसाद	23-10-1966	गोरखपुर	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0	2016

8	870027419	रमेश चन्द्र विमल	11-05-1963	फतेहपुर	परिक्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज	वाराणसी जोन	2016
9	870200018	माता प्रसाद	10-08-1963	जालौन	जनपद झांसी	प्रयागराज जोन	2016
10	870020069	राकेश कुमार	05-01-1966	कौशाम्बी	उ0प्र0 पुलिस भर्ती एंव प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।	लखनऊ जोन	2016
11	870300109	ज्ञान चन्द्र	03-07-1959	प्रयागराज	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक वि0जा0 उ0प्र0 लखनऊ	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक वि0जा0 उ0प्र0 लखनऊ	2016

2. उपरोक्त समस्त पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) **अपने नवनियुक्ति जोन/जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेंगें तथा कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही निरीक्षक लिपिक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही पदोन्नति प्राप्त करेगें**,की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगें, जिसे सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढाया जा सकेगा। जहॉ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहॉ उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

3. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) से संलग्न प्रारूप(क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या:13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉ:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

उपरोक्त तीनों परिस्थितियॉ सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक(गोपनीय) के विरूद्ध विद्यमान न हों।

4. यदि स्वहस्ताक्ष्चरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) को पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषण-पत्र में अथवा अभिलेखों के प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती हैं तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुए दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5. यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्या असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक-प्रारूप(क)

28/11/19

(डा0 राकेश शंकर)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष जॉच मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय प्रयागराज ।
5. पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के जी0एस0ओ0, उत्तर प्रदेश।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ/ पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मीरजापुर/पीएसी अनुभाग आगरा/ मुरादाबाद परिक्षेत्र/ कानपुर परिक्षेत्र/प्रयागराज परिक्षेत्र/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद झांसी/सेनानायक, 04 पीएसी प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि उक्त कर्मियों को उनके नवनियुक्ति स्थान के लिए तत्काल कार्यमुक्त कर सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। **इन कर्मियों द्वारा नवनियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही पदोन्नति आदेश प्रभावी होगा।**
7. अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन/आगरा जोन/ मेरठ जोन/कानपुर जोन/वाराणसी जोन/ लखनऊ जोन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया प्रोन्नति प्राप्त पुलिस निरीक्षक (लिपिक) का रिक्ति के सापेक्ष समायोजन करते हुए इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि:अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उत्तर प्रदेश लखनऊ को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

प्रारूप–"क"

स्वघोषणा–पत्र

मैं,————————————(नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र ————————निवासी————————————थाना————————जनपद———————— वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)———————————— नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:–

(क) "मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2– उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3– यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दवाब के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:–

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनॉक तथा कारण ———

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई————————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनॉक:———————— को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0———————— धारा————————थाना ———————— जनपद————————में लम्बित है, जिसमें दिनॉक:————————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी————————————द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में————————स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:–स्वघोषणा–पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।